जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 15.08.2025

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 385/2025 धारा 64(1), 87, 137(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)(v), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अरसद पुत्र सगीर निवासी पौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 15.08.2025 को दुल्हापार चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 11.08.2025 को थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 15.08.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, हे0का0 बदरे आलम, का0 मुकेश कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6006 द्वारा करंट लगने से घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6006 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत कुर्थिया से कालर द्वारा प्रेस से कंरट लगने के कारण घायल 01महिला (1. ज्योति पुत्री सुभाषचन्द्र यादव ग्राम कुर्थिया थाना को0 खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर घायल महिला को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहाय़ता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 शैलेष कुमार यादव, म0मु0आ0 पुष्पा शर्मा, म0आ0 नेहा पाल, मु0आ0चा0 सुरेन्द्र यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 115 वाहनों से 1,84,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 15.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 115 वाहनों से 1,84,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा चोरी की 02 अदद मोटर साईकिल व 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 19100रु0 के साथ 04 शातिर वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार

जनपद संतकबीरनगर में वाहन चोरी की 06 घटनाओं का खुलासा

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** व प्रभारी निरीक्षक एसओजी ***श्री अजय कुमार सिंह*** के नेतृत्व में संयुक्त रुप से गठित टीम द्वारा आज दिनाँक 15.08.2025 को 04 अभियुक्तगण नाम पता 1. यश मिश्रा पुत्र बलदेव मिश्रा निवासी गौरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 2. पंकज कुमार पुत्र रामानन्द भारती निवासी गौरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 3. शेखर उपाध्याय पुत्र शिवशंकर उपाध्याय निवासी उन विलाई उर्फ ओनीआ थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 4. मुराली दुबे पुत्र स्व0 सम्पुर्णानन्द दुबे निवासी गौरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को चोरी की 02 अदद मोटर साईकिल व 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 19100रु0 के साथ औद्योगिक क्षेत्र के यात्री विश्राम सेड के पास से गिरफ्तार किया गया।

अनावरण हुयी घटनाओं का संक्षिप्त विवरण

पहली घटनाः- दिनाँक 26.07.2025 को वादी श्री विश्वजीत कुमार पुत्र स्व0 सिकन्दर गोंड निवासी ब्यारा मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत दिनाँक 20.07.2025 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल हिरो स्पेण्डर प्लस UP58AD 5678 को तामेश्वरनाथ मंदिर परिसर से चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 688/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दूसरी घटनाः- दिनाँक 15.08.2025 को वादी श्री सचिन पुत्र रामवीर निवासी पड़रहां थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत दिनाँक 21.07.2025 की सुबह में अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल हिरो स्पेण्डर प्लस UP58AH 1276 को तामेश्वरनाथ मेले से चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 739/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

तीसरी घटनाः- दिनाँक 15.08.2025 को वादी श्री विश्वजीत भारती पुत्र नागेन्द्र भारती निवासी रामपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत दिनाँक 31.07.2025 की शाम को अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल हिरो स्पेण्डर प्रो0 UP58J 9001 को मड़या अचकपुरवा स्थित वादी के किराये के कमरे के बाहर से चोरी लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 740/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

चौथी घटनाः- दिनाँक 20.05.2025 को वादी श्री शैलेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्रीराम निवासी बंधवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत दिनाँक 02.05.2025 की शाम को अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल पल्सर UP58AC 0954 को पीडब्ल्यूडी आफिस का पास से चोरी लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 426/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पाँचवी घटनाः- दिनाँक 05.06.2025 को वादी श्री संजय कुमार सिंह पुत्र रामकुमार सिंह निवासी पटखौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत दिनाँक 31.05.2025 की शाम को अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल पल्सर UP58AB 0486 को गोला बाजार स्थित रमेश बीज भण्डार से चोरी लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 491/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

छठवीं घटनाः- दिनाँक 17.05.2025 को वादी श्री मो0 सैफ पुत्र मसऊद अहमद निवासी बाघनगर बाजार थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर बावत दिनाँक 16/17.05.2025 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल बजाज पल्सर UP51AR 3640 को वादी

की दुकान के बरामदे से चोरी लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 157/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा मु0अ0सं0 741/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत किया गया

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. यश मिश्रा पुत्र बलदेव मिश्रा निवासी गौरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
2. पंकज कुमार पुत्र रामानन्द भारती निवासी गौरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
3. शेखर उपाध्याय पुत्र शिवशंकर उपाध्याय निवासी उन विलाई उर्फ ओनीआ थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
4. मुराली दुबे पुत्र स्व0 सम्पुर्णानन्द दुबे निवासी गौरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

(1.) मोटरसाईकिल UP58AH1276 स्पेलण्डर प्लस सम्बन्धित मु0अ0सं0 739/2025 थाना कोतवाली खलीलाबाद ।
(2.) मोटरसाईकिल UP58AD5678 स्पेलण्डर प्लस सम्बन्धित मु0अ0सं0 688/2025 थाना कोतवाली खलीलाबाद ।
(3.) 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर।
(4.) 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।
(5.) कुल 19100रु0 नगद।

पूछताछ विवरणः- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो से पूछताछ की गयी तो बताया गया कि हम लोग का एक गैंग है, हम लोग वाहन चोरी कर उसको बेचकर उससे प्राप्त धन से अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते है। पकड़ी गयी दो मोटरसाईकिल चोरी की है तथा एक मोटरसाईकिल मुरारी की है, हम चारो दोस्त मुरारी के मोटरसाईकिल UP58 AJ 5853 हिरो स्प्लेण्डर से दिनांक 20.07.25 को सायंकाल जलाभिषेक के हेतु जल लेने के लिए बिड़हरघाट गये थे वहा से जल भरकर एक मोटरसाईकिल से जलाभिषेक के लिये बाबा तामेश्वरनाथ मन्दिर पर रात में वापस आये थे। मन्दिर कपाट खुलने के बाद जलाभिषेक करके **(1.)** मोटरसाईकिल नम्बर UP58 AH 1276 स्पेलण्डर प्लस को मन्दिर के उत्तर किनारे से तथा **(2.)** एक अन्य मोटरसाईकिल नम्बर UP58 AD 5678 स्पेलण्डर प्लस को तालाब के पुरब किनारे से हम चारों ने मिलकर चोरी करके लेकर चले गये थे, जो आपको बरामद हुयी हैं।

इसके अलावा हम चारों ने मिलकर दिनांक 31.05.2025 को शाम के समय गोला बाजार खलीलाबाद मे रमेश बीज भण्डार के सामने से **(3.)** पल्सर मोटरसाईकिल UP58 AB 0486 की चोरी किये थे। जिसे हम लोगो ने ले जाकर नेपाल बार्डर पर 30000 रुपये मे बेच दिये थे। हम लोग दिनांक 31.07.2025 को अचकवापुर से **(4.)** मोटरसाईकिल नम्बर UP 58 J 9001 स्पेलण्डर चोरी किये थे। जिसे हम लोगो ने ले जाकर नेपाल बार्डर पर 25000 रुपये मे बेच दिये थे, दिनांक 02.05.2025 को रात में पीडब्ल्यूडी आफिस, तहसील गेट के पास से **(5.)** मोटरसाईकिल नम्बर UP58 AC 0954 पल्सर चोरी किये थे। जिसे हम लोगो ने ले जाकर नेपाल बार्डर पर 28000 रुपये मे बेच दिये थे और **(6.)** मोटरसाईकिल नम्बर UP51 AR 3640 बजाज पल्सर बाघनगर बाजार रायल फर्नीचर की दुकान के बरामदे के बाहर से चोरी किये थे। जिसे हम लोगो ने ले जाकर नेपाल बार्डर पर 20000 रुपये मे बेच दिये थे। अन्य सभी पैसे हम लोगो ने अपने शौक पूरे करने मे खर्च कर दिया है। उक्त वाहन को बेचने के सम्बन्ध मे बता रहे है कि नेपाल बार्डर पर एक व्यक्ति है, जो नेपाल का ही निवासी है, हम लोग नेपाल के उसी व्यक्ति को नेपाल बार्डर पर जाकर मोटर साईकिल बेच देते थे, वही हम लोग की मदद करता है तथा सारे वाहनो को नेपाल ले जाकर बेच देता है।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव चौकी प्रभारी तामेश्वरनाथ , उ0नि0 श्री ललित कान्त यादव चौकी प्रभारी बरदहिया, उ0नि0 श्री राकेश कुमार चौकी प्रभारी गोला, उ0नि0 श्री मोती लाल यादव, का0 कृष्णानन्द, का0 पकंज विश्वकर्मा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।
2. प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह, हे0का0 बृजकिशोर गुप्ता , का0 बीर बहादुर यादव , का0 शुभम सिंह अरूण हलबाई , का0 सर्वेश मिश्रा , का0 दिपक सिंह , का0 विवेक मिश्रा एसओजी संतकबीरनगर।
3. मुख्य्य आरक्षी ललित कुमार व का0 पीयुष गुप्ता सर्विलांस सेल संतकबीरनगर।